समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पत्रांक–............/आ०प्र०

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक–..................

विषय :– संलग्न अल्पकालीन निविदा संख्या–03/2014–15 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक के द्वारा संभावित बाढ़–2014 को ध्यान में रखने हुए प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित लोगो का सुरक्षित स्थानों/शिविर में सुखा राशन एवं साहाय्य सामग्रियों का क्रय के संदर्भ में संलग्न अल्पकालीन निविदा संख्या–03/2014–15 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि यथाशीध्र समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय।

अनुग्नक :– यथोक्त।

(पॉच प्रति में सी०डी० सहित)

विश्वासभाजन,

ह०/–

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 315 /आ०प्र०, पूर्णियॉ, दिनांक 09/07/2014

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णियॉ/नगर पंचायत कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियॉ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्णियॉ/सहायक वाणिज्यकर आयुक्त, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियॉ को विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो दैनिक माचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, N.I.C पूर्णियॉ/आई० टी० मैनेजर, पूर्णियॉ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पूर्णियॉ जिला के अधिकारिक वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

4/07/14

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

F:November-2012/Apda-Letter-1

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या – 03/2014–15

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–1131/आ0प्र0, दिनांक–27.03 2014 के आलोक में संभावित बाढ़–2014 को ध्यान में रखते हुए प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थलों/शिविरों में साहाय्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिये अल्पकालीन निविदा संख्या – 02/2014–2015. का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कराया गया था, जिसमें निविदा की कार्रवाई दिनांक–07.07.14 को निर्धारित की गई थी। उक्त निविदा की कार्रवाई की तिथि को मात्र एक निविदादाता द्वारा निविदा डाली गई जिसके कारण निविदा की कार्रवाई नहीं हो सकी।

पुनः दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्त्तिकार्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

(1) निविदादाताओं को मो0–5,000.00 (पॉच हजार) रूपये अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के रुप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि ..21/7/14.. को **अपराह्न 2 बजे तक आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा, सीधे डाली जा सकती है। इसी दिन 3 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी**, जिसमें स्वय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्री का विवरण

क्र0	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	नाव परिचालन संबंधी लॉगबुक	—	दर प्रति सैकड़ा
2	आटा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
3	चुड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
4	चना देशी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
5	गुड़	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
6	मूढी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
7	दाल (1. अरहर 2. चना 3. मूंग 4. मसूर)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
8	सरसों का तेल	उत्तम किस्म का	दर प्रति टीन (15 किलोग्राम)
9	मसाला–जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम अलग–अलग में अंकित होगा।
10	आलू+प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
11	चना का सत्तु	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
12	पावरोटी	200 ग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
13	आयोडाईज्ड नमक	1 किलोग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
14	चीनी	मोटा	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
15	दिया सलाई मंझोला साईज	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (12 की संख्या में)
16	मोमबत्ती (8.5'' लम्बा 2.5'' गोलाई)	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (06 की संख्या में)
17	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीटXचौड़ाई 1.5 फीट वाला	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगी
18	प्लास्टिक थैला	5 Kg एवं 2.5 Kg का (250 माईक्रोन का)	दर प्रति किलो में अंकित होगी
19	जलावन की लकड़ी (सूखी हुई)	—	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
20	खाना पकाने का सभी प्रकार का बर्त्तन भाड़े पर	—	दर (प्रति दिन)
21	खाना बनाने का गैस भट्ठी/चुल्हा (भाड़े पर)	—	दर (प्रति दिन)

22	जेनरेटर (भाड़े पर)	–	दर (प्रति दिन)
23	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलनेवाले लाईट (भाड़े पर)	मरकरी, बल्ब, सी0एफ0एल0 बल्ब एवं हैलोजेन, इत्यादि	दर (प्रति दिन)
24	वाटरपूफ टैंट / पडाल (भाड़े पर)	तिरपाल, सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	दर (प्रति दिन)
25	धोती	–	दर (प्रति नग)
26	साड़ी	–	दर (प्रति नग)
27	गंजी	–	दर (प्रति नग)
28	लूंगी	–	दर (प्रति नग)
29	गमछा	–	दर (प्रति नग)
30	दरी (सभी साईज में)	–	दर (प्रति नग)
31	चटाई (सभी साईज में)	–	दर (प्रति नग)
32	थाली (स्टील)	–	दर (प्रति नग)
33	कटोरा (स्टील)	–	दर (प्रति नग)
34	ग्लास (स्टील)	–	दर (प्रति नग)

Ho/–

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

निविदा की आवश्यक शर्तें :–

1. क्र0–01 से 34 तक के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड / मुहरबन्द लिफाफे में ली जायेगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर / TIN नम्बर / अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र / दूकान की अनुज्ञप्ति / अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र वाले निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति में प्राथमिक्ता दी जाएगी।
6. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
7. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
8. सामग्रियों की आपूर्त्ति पहले मुख्यालय में करनी होगी तथा आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता के जॉचोंपरान्त आवश्यकता अनुसार अंचलों में आपूर्त्ति करनी होगी। इसके लिये आपूर्त्तिकर्त्ता कों परिवहन भत्ता देय नही होगी।
9. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता / प्राधिकृत प्रतिनिधि सामग्रियों के नमूने के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें। बिना नमूने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा की आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों की आपूर्त्ति निश्चित रूप से कर देगें, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरूद्व कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
10. संभावित बाढ़ की स्थिति में ही आवश्यकतानुसार सामग्रियों की आपूर्त्ति ली जायेगी।
11. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्त्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. स्वीकृत किये गये साहाय्य सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्त्ति की गई साहाय सामग्रियों के गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रृटि पाये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान नही किया जायेगा।

13. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा
14. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
15. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ जिला से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट **dm.purnea.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।
16. आपूर्त्ति की गई सामग्रियों के विरूद्व भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियामानुसार वैट/आयकर की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।
17. आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात् अनुमान्य बिक्रीकर, आयकर एवं अन्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

ह0/- 21/3/19

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।